परिवहन सुरक्षा दिशा-निर्देश

नोट्र डेम एकेडमी, एनटीपीसी टाउनशिप, बाढ़

विद्यालय के विद्यार्थियों की यात्रा के दौरान सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। चूँकि विद्यालय स्वयं कोई परिवहन सेवा नहीं चलाता है, अतः अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, वैध और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

---

1. **अभिभावकों के लिए नियम**

अभिभावक अपने बच्चों के लिए **सुरक्षित, कानूनी एवं विश्वसनीय परिवहन साधन** की व्यवस्था करने के उत्तरदायी हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि —

✅ वाहन **विद्यालय परिवहन हेतु पंजीकृत** हो (संभव हो तो *पीले नंबर प्लेट* वाला और आरटीओ से मान्य *ट्रांसपोर्ट परमिट* वाला)।

✅ चालक के पास **वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस** (LMV Transport या PSV बैज) हो।

✅ वाहन में आवश्यक **सुरक्षा उपकरण** जैसे — *प्राथमिक उपचार पेटी (First-Aid Box)*, *फायर एक्सटिंग्विशर (Fire Extinguisher)* लगे हों तथा उस पर **"On School Duty"** लिखा हो।

✅ वाहन का **बीमा वैध** हो तथा उसमें विद्यालय जाने वाले बच्चों का कवरेज शामिल हो।

✅ **अतिभार (ओवरलोडिंग) न हो** — प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उचित सीट हो।
(*बच्चों की संख्या अनुमोदित सीटिंग क्षमता से कम हो*)

✅ बच्चों को केवल **टाउनशिप के सुरक्षित एवं निर्धारित बिंदुओं** पर ही चढ़ाया या उतारा जाए।
(*रिपोर्टिंग समय से 5 मिनट पहले ड्रॉप करें और छुट्टी के 10 मिनट के भीतर पिकअप करें*)

✅ **ऑटो एवं ई-रिक्शा से विद्यालय के बच्चों का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित** है।

✅ यदि अभिभावक बच्चे को **दोपहिया वाहन (बाइक)** से लाते हैं, तो **अभिभावक और विद्यार्थी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य** है।

---

2. **विद्यार्थियों के लिए नियम**

विद्यार्थियों को भी **सुरक्षित यात्रा की आदतें** अपनानी चाहिए। उन्हें चाहिए कि —

- समय पर तैयार रहें — वाहन तक पहुँचने के लिए जल्दीबाज़ी न करें।
- सीट पर ठीक से बैठें — खिड़की से बाहर न झुकें और न खड़े हों।
- वाहन के भीतर **चालक का ध्यान भटकाने, शोर मचाने या खेलने** से बचें।
- वाहन तक जाते या लौटते समय **सड़क सुरक्षा नियमों** का पालन करें।
- यदि चालक असुरक्षित ढंग से वाहन चला रहा हो या अनुचित व्यवहार करे, तो तुरंत **अभिभावकों या विद्यालय को सूचित करें।**

---

3. **वाहन चालकों के लिए नियम**

एनटीपीसी टाउनशिप के भीतर परिवहन चलाने वाले चालकों को **आरटीओ एवं टाउनशिप के सभी नियमों का कड़ाई से पालन** करना होगा।

चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि —

- उसके पास **वैध ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन परमिट तथा प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)** हो।
- वाहन पर स्पष्ट रूप से **"School Vehicle"** तथा **"On School Duty"** लिखा हो।
- चालक का **पुलिस अथवा एनटीपीसी सुरक्षा द्वारा सत्यापन** आवश्यकतानुसार किया गया हो।
- वाहन में **अनुमोदित सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए।**
- चलने के दौरान **वाहन के दरवाज़े बंद** रहें और विद्यार्थी **सुरक्षित रूप से चढ़ें/उतरें।**
- वाहन में **स्पीड गवर्नर** लगा हो तथा टाउनशिप में **गति सीमा 40 किमी/घंटा** से अधिक न हो।
- वाहन में **प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशामक यंत्र** तथा **आपातकालीन संपर्क सूची** हो।
- **तेज़ संगीत या मोबाइल फोन का उपयोग** करते हुए वाहन न चलाएँ।
- **एनटीपीसी टाउनशिप के यातायात नियमों** और **सुरक्षा द्वार प्रवेश नियमों** का पूर्ण पालन करें।

नोट:

सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और चालकों से अनुरोध है कि वे इन दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें ताकि प्रत्येक बच्चे की यात्रा सुरक्षित, अनुशासित और सुखद हो सके।